क्रम संख्या–55

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ए0–30 / 03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 28 फरवरी, 2004 ई0
फाल्गुन 09, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 47 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2003
देहरादून, 28 फरवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 23–02–2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 03, सन् 2004 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003
(उत्तरांचल अधिनियम सं0 03, सन् 2004)

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 में अग्रेतर संशोधन के लिए

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम,

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रभावी होगा।

मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) का संशोधन

2. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) में निम्न संशोधन कर दिया जाएगा :–

शब्द "अध्यक्ष" के बाद शब्द "तथा उपाध्यक्ष" जोड़ दिये जाएंगे।

मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) का प्रतिस्थापन

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्न उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी :–

आयोग में प्रतिष्ठित योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और नौ सदस्य, जिनमें एक महिला हो, होंगे, परन्तु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे।

मूल अधिनियम की धारा 4, 6, 14, 16, एवं 17 में संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 4, 6, 14, 16, एवं 17 में जहां–जहां शब्द "अध्यक्ष तथा सदस्य" आये हैं, वहां शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य" पढ़े जाएंगे।

मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के पश्चात् उपधारा (4) एवं (5) का जोड़ा जाना

5. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नवत् दो नई उपधाराएं (4) एवं (5) जोड़ दी जाएंगी :–

(4) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो उन कर्तव्यों का, उपाध्यक्ष द्वारा तब तक निर्वहन किया जाएगा जब तक नया अध्यक्ष अपना पद धारण नहीं करता है या, यथास्थिति, विद्यमान अध्यक्ष अपने पद को फिर से नहीं संभालता है।

(5) यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं, तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे सदस्य द्वारा, जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देशित करे, किया जाएगा।

आज्ञा से,

भरोसी लाल,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Commission for Minorities (Second Amendment) Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 03 of 2004) for general information :

No. 47/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003
Dated Dehradun, February 28, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on February 27, 2004.

THE UTTARANCHAL COMMISSION FOR MINORITIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 2003

(UTTARANCHAL ACT NO. 03 OF 2004)

To further amend The Uttaranchal Commission for Minorities Act, 2002

AN

ACT

Short title, Extent & Commencement

BE IT enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows :–

1. (1) This Act may be called The Uttaranchal Commission for Minorities (Second Amendment) Act, 2003.

(2) It extends to the whole of Uttaranchal.

(3) It shall come into force with immediate effect.

Amendment of clause (c) of Section 2 of the Principal Act

2. Clause (c) of Section 2 of the Principal Act shall be amended as follows :--

The words "and Vice Chairman" shall be added after the word "Chairman".

Substitution of Sub-section (2) of Section 3 of the Principal Act

3. Sub-section (2) of Section 3 of the Principal Act shall be substituted as follows :--

The Commission shall consist of a Chairman, a Vice Chairman and nine members nominated by the Government from amongst persons of eminence, ability and integrity including a women, provided that the Chairman, Vice Chairman and members shall be from amongst the minority communities.

Amendment of Section 4, 6, 14, 16 & 17 of the Principal Act

4. Wherever the words "Chairman and Members" occur in Section 4, 6, 14, 16 & 17 of the Principal Act, shall be read as "Chairman, Vice Chairman and Members."

Addition of two new Sub- section (4) & (5) after Sub-section (3) of Section 8 of the Principal Act

5. After Sub-section (3) of Section 8 of the Principal Act, two new Sub-sections (4) & (5) shall be added as follows :--

(4) If the office of the Chairman becomes vacant or if the Chairman is, for any reason, absent or unable to discharge the duties of his office, these duties shall, until the new Chairman assumes office or the existing Chairman resumes his office, as the case may be, be discharged by the Vice Chairman.

(5) If the offices of both Chairman and Vice Chairman become vacant, the duties of the office of Chairman shall be discharged by such member, as the State Government may, by order, direct.

By Order,

BHAROSI LAL,

Secretary.

पी०एस०यू०-यू० (आर०ई०) 20 विधायी/130-2004-500 (कम्प्यूटर/राजयो)।